न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 132 / 2017

1 पाबुदान सिंह पुत्र स्व. श्री मातुसिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रणजीत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 ईश्वर सिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 महेन्द्र सिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 सत्यवीर सिंह पुत्र बाघ सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
5 धर्मवीर सिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्टस / वादीगण

6 हनुमान सिंह पुत्र स्व. मातुसिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 छतुसिंह पुत्र स्व. मातुसिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
8 भंवर सिंह पुत्र स्व. शीशपाल सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
9 कल्याण सिंह पुत्र स्व. शीशपाल सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 महावीर सिंह पुत्र स्व. शीशपाल सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

11 सिरला कंवर पत्नी स्व. मदन सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

12 वेद सिंह पुत्र स्व. अमर सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

13 अवतार सिंह पुत्र स्व. अमरसिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद विधासर तहसील डुगरगढ़ जिला बीकानेर राज.।

14 राजू सिंह पुत्र स्व अमर सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।हाल विधासर तहसील डुगरगढ़ जिला बीकानेर राज.।

15 प्रहलाद पुत्र स्व. अमर सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। हाल विधासर तहसील डुगरगढ़ जिला बीकानरे राज.।

16 सन्तोष पत्नी स्व. श्री सुंदर सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

17 प्रदीप पुत्र स्व. श्री सुंदर सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

18 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. खेमचन्द जाति दर्जी निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

19 चन्दगीराम पुत्र स्व खेमचन्द जाति दर्जी निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

20 हरी सिंह पुत्र स्व. खेमचन्द जाति दर्जी निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

21 रामस्वरूप पुत्र स्व. खेमचन्द जाति दर्जी निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू.प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

22 रामचन्द्र पुत्र स्व. खेमचन्द जाति दर्जी निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

23 राधेश्याम पुत्र स्व. खेमचन्द जाति दर्जी निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

24 मातुराम पुत्र स्व. खेमचन्द जाति दर्जी निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

25 होशियार सिंह पुत्र स्व. मनीराम जाति जाट निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

26 सोमवीर पुत्र स्व. मनीराम जाति जाट निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

27 निम्बो देवी पत्नी धर्मसिंह जाति जाट निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

28 सावित्री पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

29 सुधेश पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी नवादा नई दिल्ली 110059

30 कमलेश पत्नी विजयपाल जाति जाट निवासी नवादा नई दिल्ली 110059

31 मीना पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी नवादा नई दिल्ली 110059

32 सीमा पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी नवादा नई दिल्ली 110059

33 राजवन्ती पत्नी श्री ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

34 व्यवस्थापक भुमि विकास बैंक चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

35 उप पंजीयन अधिकारी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

36 श्रीमान तहसीलदार सूरजगढ़ भूमिधारक तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

37 उर्मिला पत्नी राजूसिंह जाति राजपूत निवासी लाडुन्दा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम नियमित अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.06.2017 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ बमुकदमा उनवानी रणजीतसिंह बनाम पाबुदान सिंह नम्बर मुकदमा 89/2017 (ईश्वर सिंह बनाम पाबुदान सिंह नम्बर मुकदमा 342/2007) दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामसिंह काला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने एक वाद घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा वाके ग्राम लाडून्दा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तूत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अतीव अवहेलना की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादीगण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करने की दिनांक 03.11.2015 को पत्रावली वास्ते जवाब दावा एवं तलबी नियत थी। वादी संख्या 1 द्वारा उक्त दावा खारिज के करीब 20 महीने पश्चात उक्त दावा को पुनः नम्बर पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र बाजदायरी दिनांक 08.06.2017 को प्रस्तुत किया गया। विधिक प्रक्रिया के अनुरूप वादी संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई एवं निस्तारण से पूर्व प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था परन्तु विचारण न्यायालय ने आर्बिट्रेरी रूप से एवं विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर अपीलान्ट प्रतिवादी सहित अन्य प्रतिवादीगण को नोटिस तक जारी नहीं किये एवं अन्यथा रूप से उक्त प्रार्थना पत्र उसी दिन स्वीकार किया जाकर दावे को पुनः नम्बर पर लेने का अविधिक आदेश पारित करते हुये दावें में आगामी तारीख पेशी मात्र 4 दिन पश्चात दिनांक 12.06.2017 नियत कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमें में नियत तारीख पेशी दिनांक 12.06.2017 को उक्त पत्रावली में कोई आदेशिका दर्ज नहीं की गई तथा पत्रावली कथित रूप से दिनांक 16.06.2017 को लोक अदालत कैम्प दुधवा में प्रस्तुत हुई जिसमें पक्षकारान के मध्य कथित सहमति नहीं होने बाबत सील लगाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.08.2017 नियत कर दी गई। तत्पश्चात इसी आदेशिका को बढ़ाकर वकील वादी की उपस्थिति दर्ज कर वादी संख्या 01 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत करना अंकित कर उस प्रार्थना पत्र पर कथित रूप से वकील वादी को सुना जाना एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना अंकित किया गया तथा वकील वादी द्वारा संशोधन वाद पत्र भी पेश किया जाना अंकित कर दिया तथा वकील वादी द्वारा के कथन पर की प्रतिवादीगण की तामील पूर्व में अखबार में साया करवाई जा चुकी है परन्तु कोई प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आया है अतः

अति. जिला कलक्टर एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावें। जिस पर विचारण न्यायालय ने अविधिक रूप से प्रतिवादीगण को बिना नोटिस जारी किये ही समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने एवं पत्रावली को आयन्दा वास्ते बहस एवं सबूत वादी हेतु दिनांक 20.06.2017 को नियत कर दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक प्रकिया का पूर्णतः दुरूपयोग है। विचारण न्यायालय ने वादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं वादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत एक कथित समझौता पत्र के आधार पर ही वाद वादीगण इकतरफा रूप से डिक्री कर दिया जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे वाद वादीगण साबित होता हो। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद सक्षम साक्ष्य एवं दस्तावेजात साक्ष्य से साबित करना होता है तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी को अपने न्यायिक विवेक से दावे का मैरिट पर निस्तारण करना होता है। वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा न तो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई न ही कोई सक्षम मौखिक साक्ष्य पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित की गई थी। इस कारण अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 20.06.2017 की पूर्व में जानकारी नहीं थी क्योंकि दावा वादीगण पूर्व में ही दिनांक 03.11.2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका था तथा वाजदायरी के समय अपीलान्ट सहित अन्य प्रतिवादीगण को समन जारी ही नहीं किये गये थे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति थी। विचाराधीन दावा अदम हाजरी में खारिज होने पर पुनः दिनांक 08.06.2017 को नम्बर पर लिया गया है। तदुपरांत प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है। विधिक प्रकिया की पालना में इकतरफा कार्यवाही के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (मुख्यालय)

पश्चात वादी की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अदम हाजरी अदम पैरवी में वाद खारिज होने के पश्चात प्रस्तुत आवेंदन पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दावा नम्बर पर लिया गया है। इसके पश्चात भी अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर